

**समाहरणालय, मुंगेर।**  
**(जिला निर्वाचन शाखा)**

**आदेश**

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक: बी0-112-103(0001)/2011-67/आ0 दिनांक: 28.12.2011 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्राप्त शीर्ष 2015-निर्वाचन-103 निर्वाचन नामावली तैयार करना और मुद्रण - 0001- विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची की 13 01 की कार्यालय व्यय एवं 11 01 यात्रा व्यय इकाई अन्तर्गत क्रमशः 11,19,555.00 (ग्यारह लाख उन्नीस हजार पाँच सौ पचपन) रुपये मात्र आवंटन प्राप्त हुए है। जिसे निम्न प्रकार स्तम्भ (2) में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को उनके सामने स्तम्भ (4) में अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल राशि
1	2	3	4	5
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर, मुंगेर	2,14,000.00	2,00,000.00	4,14,000.00
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर	70,000.00	60,000.00	1,30,000.00
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धरहरा	87,000.00	77,000.00	1,64,000.00
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमालपुर	1,35,000.00	1,24,000.00	2,59,000.00
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर	1,40,000.00	1,28,000.00	2,68,000.00
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तारापुर	70,000.00	60,000.00	1,30,000.00
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, असरगंज	56,000.00	46,000.00	1,02,000.00
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर	65,000.00	55,000.00	1,20,000.00
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टेटियाबम्बर	56,000.00	46,000.00	1,02,000.00
10	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	9,27,925.00	3,23,555.00	12,51,480.00
	<b>योग:-</b>	<b>18,20,925.00</b>	<b>11,19,555.00</b>	<b>29,40,480.00</b>

- शीर्ष 2015-निर्वाचन-103 निर्वाचन नामावली तैयार करना और मुद्रण - 0001- विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची की 13 01 की कार्यालय व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में उपबंधित राशि से विकलित होगा।
- उपावंटित राशि मांग संख्या-06 के अन्तर्गत है एवं इसका विपत्र कोड- एन 2015001030001 है।
- यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक: एम-4-05/98/2561 वि0(2) दिनांक: 17.04.1998 एवं पत्रांक: 3388 वि0(2) दिनांक: 18.04.2011 के आलोक में आवंटित है।
- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेश तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्तीय नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।

30

